

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.- 78-2022

1. हरिसिंह पुत्र भादरराम।
2. रामकिशन पुत्र भादरराम।
3. राधेश्याम पुत्र भादरराम।
4. रेशमी पुत्र भादरराम।
5. मेवा पुत्री भादरराम।
6. आशा पुत्री खराती।
7. धर्मपाल पुत्र खराती।
8. मुकेश पुत्र खराती।
9. रमेश पुत्र खराती।
10. रेशमी पत्नी खराती।
11. राकेश पुत्र खराती।
12. सुखीराम पुत्र नानगराम
13. सुभाष पुत्र बोदनराम
14. गोरुराम पुत्र सुखराम।

समस्त जाति खटीक निवासी सिंधाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र नौरंगलाल।
2. रामसिंह पुत्र नौरंगलाल जाति माली निवासी नीलम टेंन्ट के पा बाई पास रोड सिंधाना
3. सीताराम
4. विक्रम सैनी पुत्र सुरेश जाति माली निवासी सिंधाना।
5. विधाधर पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहमण निवासी सिंधाना।
6. सन्तोष देवी पत्नी शीशराम जाति माली निवासी गुजरवास।
7. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये सहायक अभियन्ता बुहाना।
8. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होलडर तहसीलदार बुहाना।

.....अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधि.



(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुंझुनू

-:निर्णय:-

दिनांक :- 26-05-2022

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र रहा कि:-

1. यह कि ग्राम गुजरवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 0.51 है. के आवेदकगण खातेदार कास्तकार है।
2. यह कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 513 के पूर्व दिशा से सिंधाना -बुहाना आम सड़क स्थित है तथा अन्य दिशाओं में अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 के खेत लगते है। अनावेदकगण आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 513 पर आये दिन अतिक्रमण करते है तथा आवेदकगण से लडाई झगडा करते है।
3. यह कि आवेदकगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 513 का सीमाज्ञान करवाकर उस पर पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि अपनी भूमि पर तारबाड कर सके तथा अपनी भूमि को अन्य खातेदारों के अतिक्रमण से बचा सके तथा भूमि संधार कर सके। आवेदकगण अपने खेत खसरा नम्बर 513 का खातेदार होने के कारण सीमाज्ञान करवाने व पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।
4. यह कि विवादित भूमि पर अनावेदकगण ने नये नक्शे के अनुसार दिनांक 15-06-2020, 20-07-2021, 22-10-21 को सीमाज्ञान भी करवाया था लेकिन अनावेदकगण उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी सीमा कायम करवानाथा लेकिन अनावेदकगण उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी सीमा कायम नही है। इसलिए आवेदकगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 513 का नये नक्शे के मुताबिक सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है।

आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि-

- (क). वाके ग्राम गुजरवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 0.51 है. का पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार सीमा पर पुख्ता पत्थरगढी कर पत्थरगढी किए जाने का आदेश दिए जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल की गयी। अप्रार्थीगण की सम्यक् तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-78, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-78 (किता 7), नकल नक्शा ट्रेस पेश किए गए।



(सुनील कुमार चोलान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुन्सू (राज.)

**बहस सुनी गई।**

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। जिसकी सुरक्षा, संरक्षा का प्रार्थीया का अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15-06-2020, 20-07-2021, 22-10-21को तहसीलदार बुहाना के आदेश से पटवारी व गिरदावर हल्का से सीमाज्ञान करवाया गया था। किसी तरह का सीमा का विवाद नहीं रहे, इसलिए न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

**--: आदेश :-**

न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाकें ग्राम गुजरवास अहीरान स्थित भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 0.51 है. का सीमाज्ञान के सम्यक् समाधान उपरान्त प्रार्थी के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना पालना कर रिपोर्ट पेश करे।

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 26-05-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

